Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में उपनिवेशन पटवारी, जैसलमेर 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 अक्टूबर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गोपाल सिंह राजपुरोहित उपनिवेशन पटवारी, अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जैसलमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी आवंटितशुदा भूमि के खातेदारी अधिकार दिलवाने की एवज में गोपाल सिंह राजपुरोहित उपनिवेशन पटवारी, अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जैसलमेर द्वारा **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के **पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा** एवं उनकी टीम द्वारा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केसरी सिंह निवासी मकान नं0 ए–63, करणीनगर, बीकानेर हाल गोपाल सिंह राजपुरोहित उपनिवेशन पटवारी, अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जैसलमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी पूर्व में भी **वर्ष 2012 में एसीबी द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसमें **माननीय न्यायालय द्वारा उसे दिनांक 24–06–2022 को दोषसिद्ध** भी किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।